चेक लिस्ट क्रमांकः– 25

व्यवस्थापन प्लान

Forest Clearance under section 2 of FCA 1980 for coal mining within GARE PALMA SECTOR-II Allotted to M/s MSPGCL wide order NO. 103/30/2015/NA, Date 31.08.2015 REVENUE FOREST= 115.134 Ha. Forest land = 99.735 ha. Total Forest area= 214.869 ha.	CHIEF ENGINEER (COAL) MSPGCL MUMBAI, MAHARASHTRA

व्यवस्थापन प्लान

आवेदक आवेदक महाराष्ट्रा स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमि. (महाजेनको) द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत गारे पेलमा सेक्टर–2 कोल ब्लाक में कोयला खनन कार्य हेतु रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु आवेदित क्षेत्र रकबा 214.869 हे. वन भूमि प्रभावित हो रहा है। उक्त वनभूमि व्यपवर्तन का व्यवस्थापन प्लान पृष्ठ क्रमांक...............से................तक में संलग्न है।

CHIEF ENGINEER
(CIVIL COAL)
MSPGCL
MUMBAI, MAHARASHTRA

MAHARASHTRA STATE POWER GENERATION COMPANY LIMITED ★ MUMBAI

वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल रायगढ़

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ0ग0)

क्रमांक क / वाचक–1 / 2020 घरघोड़ा दिनांक 6 मार्च, 2020

प्रति,

मे0महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड
रायगढ

विषय– मे0 मे0महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिर्टेड द्वारा गारे–पेलमा सेक्टर–2 कोल ब्लाक के भू–प्रभावितों के लिये तैयार की गई पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना एवं पात्रता की रूपरेखा के अनुमोदन बावत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत कलेक्टर (खनिज शाखा) रायगढ का पत्र क्रमांक 2684 / ख0लि0–1 / 2020 दिनांक 19.02.2020 एवं आयुक्त महोदय, बिलासपुर संभाग बिलासपुर का पत्र क्रमांक 365 / राजस्व शाखा / 2020 दिनांक 04.02.2020 की प्रति संलग्न कर भेजा जा रहा है।

2– उपर्युक्त पत्रों में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
घरघोडा जिला रायगढ

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रायगढ़ छ.ग.

कलेक्टोरेट परिसर पोस्ट चक्रधर, नगर रायगढ़, छत्तीसगढ़–496001

फोन/फैक्स 07762–220310 Email-raigarhminingoffice@gmail.com

क्रमांक 2684/ख.लि.–1/2020. रायगढ़ दिनांक 19/02/2020

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
अनुभाग घरघोड़ा
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

विषय :– मेसर्स महाराष्ट्र स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा गारे पेलमा सेक्टर–2 कोल ब्लॉक के भू–प्रभावितों के लिये तैयार की गई पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना एवं पात्रता की रूपरेखा के अनुमोदन बाबत्।

सन्दर्भ :– आयुक्त बिलासपुर संभाग, बिलासपुर (छ.ग.) का ज्ञापन क्र. 365/राजस्व शाखा/2020 बिलासपुर, दिनांक 04.02.2020

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित है, का अवलोकन करें। मेसर्स महाराष्ट्र स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के गारे पेलमा सेक्टर–2 कोल ब्लॉक का कुल रकबा 2583.487 हे. क्षेत्र के कोयला परियोजना से प्रभावित भू–स्वामियों एवं प्रभावित सभी कुटुम्बों को पुनर्वास का लाभ दिये जाने हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारर्दिशता अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत प्रस्तावित पुनर्वास योजना का आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर के संदर्भित पत्र क्र. 365/राजस्व शाखा/2020 बिलासपुर, दिनांक 04.02.2020 द्वारा निम्नाकिंत शर्तों के अधिन अनुमोदन किया गया है। पुनर्वास योजना में निहित शर्तों का विवरण निम्नानुसार है :–

01. कलेक्टर, रायगढ़ द्वारा मुआवजा का निर्धारण भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारर्दिशता अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं राज्य शासन के द्वारा समय–समय पर दिये निर्देशों के तहत् किया जायेगा।

02. प्रभावित कृषक की भूमि, भू–अर्जन के बाद स्थल में कम बचती है, जिसमें कृषि कार्य संभव नहीं है, उस भूमि का भी अधिग्रहण किया जायेगा।

03. पर्यावरण संतुलन को बनाये रखने के लिये वृक्षारोपण किया जायेगा।

04. अवैध अतिक्रमणकारियों के लिये पूनर्वास :– उन अतिक्रमणकारियों को राजस्व वन अथवा राजस्व भूमि के अलावा शासकीय भूमि/आबादी भूमि पर काबिज हो पुनर्बसाहट के लिये पात्रता की शर्त छत्तीसगढ़ शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार तय किया जायेगा।

05. पुनर्वास पैकेज एवं प्रतिकर का पूर्ण भुगतान किया जा सुनिश्चित किया जावे।

06. मेसर्स महाराष्ट्र स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा गारे पेलमा सेक्टर–2 कोल ब्लॉक द्वारा कोयला उत्खनन के लिये निजी भूमि सरफेस राईट के तहत् आवेदित भूमि से प्रभावित परिवारों के लिये प्रति 2 एकड़ का एक सदस्य को नौकरी/रोजगार परियोजना के अन्तर्गत अवसर दिया जायेगा तथा प्रभावित कुटुम्ब के लिये नौकरी/रोजगार का प्रावधान रखा जायेगा। (Descending order अनुपालन किया जायेगा)

07. क. जिन विस्थापितों को परियोजना में नियमित रोजगार दिया जाना संभव न हो तो उन्हे मुआवजा के अतिरिक्त प्रति प्रभावित कुटुम्ब पांच लाख रूपये का एक ही बार में संदाय किया जाये

CS Scanned with CamScanner

या

ख. प्रतिवर्ष 20,000/– रूपये प्रति एकड़ आगामी बीस वर्ष वार्षिकी दी जावे। इसमें प्रति दो वर्ष में 500/– रू. प्रति एकड़ वृद्धि की जावे।

08. प्रभावित कुटुम्बों को रोजगार सुनिश्चित करने की दृष्टि से आजीविका ट्रेड में प्रशिक्षण व्यवस्था कर उन्हे प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार /जीविका उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा समय समय पर रोजगार के जो भी अवसर उपलब्ध होंगे उनमें यथा संभव भूमि विस्थापितों को रोजगार का अवसर प्राथमिकता से दिया जायेगा।

09. कलेक्टर रायगढ़ भू–अर्जन का पर्यवेक्षण करेंगे एवं प्रत्येक तीन माह में अपना प्रगति प्रतिवेदन राज्य शासन को एवं आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर (छ.ग.) को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

10. प्रभावित कुटुम्बों को रोजगार सुनिश्चित करने की दृष्टि से आजिविका ट्रेड में प्रशिक्षण व्यवस्था मेसर्स महाराष्ट्र स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा गारे पेलमा सेक्टर–2 कोल ब्लॉक द्वारा किया जायेगा। पश्चात् सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्राथमिकता में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से स्वरोजगार /जीविका उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा।

11. प्रभावित क्षेत्र निःशक्तजनों के लिये आजीविका प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार हेतु मेसर्स महाराष्ट्र स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा गारे पेलमा सेक्टर–2 कोल ब्लॉक को विशेष प्रयास करना होगा।

12. अधिग्रहित भूमि में वृक्ष लगे हो तो उसका आंकलन राजस्व वन विभाग के अधिकारियों द्वारा निर्धारित की गई मूल्य अनुसार मुआवजा राशि का वितरण किया जायेगा।

अतः उपरोक्त शर्तो के अधीन मेसर्स महाराष्ट्र स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के गारे पेलमा सेक्टर–2 कोल ब्लॉक हेतु भूमि अधिग्रहण के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुक्रम में अनुमोदित पुनर्वास कार्य योजना अनुसार पालन सुनिश्चित करें।

संलग्न :–

01 संदर्भित पत्र दिनांक 04.02.2020 की छायाप्रति।

02. अनुमोदित पुनर्वास कार्ययोजना की एक प्रति।

कलेक्टर
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. क्रमांक 2684 (A)/ख.लि.–1/2020, रायगढ़ दिनांक 17/02/2020

प्रतिलिपि :–

01. सचिव, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

02. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, सेकेण्ड फ्लोर, ब्लाक चार, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) – की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

03. मेसर्स महाराष्ट्र स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड गारे पेलमा सेक्टर–2 कोल ब्लॉक, कालंदिकुंज नेता भवन बी–ब्लॉक कबीर चौक, जिला – रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

कार्यालय आयुक्त बिलासपुर संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)

//ज्ञापन//

क्रमांक 365/राजस्व शाखा/2020 बिलासपुर, दिनांक 04/02/2020

प्रति,

कलेक्टर,
जिला–रायगढ़ (छ0ग0)

विषय :– मेसर्स महाराष्ट्र स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा गारे पेलमा सेक्टर–2 कोल ब्लॉक के भू–प्रभावितों के लिये तैयार की गई पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना एवं पात्रता की रुपरेखा के अनुमोदन बावत् ।

संदर्भ :– आपका कार्यालयीन पत्र क्रमांक *2497/ख.लि.–1/2020, रायगढ़, दिनांक 22.01.2020 ।*

—00—

विषयांतर्गत मेसर्स महाराष्ट्र स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा गारे पेलमा सेक्टर–2 कोल ब्लॉक कुल रकबा 2583.487 हे. क्षेत्रफल खनिज कोयला का स्वीकृत खनिज पट्टा क्षेत्र में ग्रामों को छ.ग. भू राजस्व संहिता में वर्णित प्रावधानों के तहत् अधिग्रहण किये जाने पर कोयला परियोजना से प्रभावित भू स्वामियों को एवं प्रभावित सभी कुटुम्ब पुनर्वास का लाभ दिये जाने हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रस्तावित पुनर्वास कार्य योजना का अनुमोदन निम्नानुसार शर्तों के अधीन किया जाता है :–

1. कलेक्टर, रायगढ़ द्वारा मुआवजा का निर्धारण पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों एवं राज्य शासन के द्वारा समय समय पर दिये निर्देशों के तहत् किया जायेगा ।
2. प्रभावित कृषक की भूमि, भू–अर्जन के बाद स्थल में कम बचती है जिसमें कृषि कार्य संभव नहीं है उस भूमि का भी अधिग्रहण किया जायेगा ।
3. पर्यावरण संतुलन को बनाये रखने के लिये वृक्षारोपण किया जायेगा ।
4. अवैध अतिक्रमणकारियों के लिये पुनर्वास:– उन अतिक्रमणकारियों को राजस्व वन अथवा राजस्व भूमि के अलावा शासकीय भूमि/आबादी भूमि पर काबिज हो पुनर्वसाहट के लिये पात्रता की शर्त छत्तीसगढ़ शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार तय किया जायेगा ।
5. पुनर्वास पैकेज एवं प्रतिकर का पूर्ण भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।

Scanned with CamScanner

6. मेसर्स महाराष्ट्र स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा गारे पेलमा सेक्टर–2 कोल ब्लॉक द्वारा कोयला उत्खनन के लिये निजी भूमि सरफेस राईट के तहत् आवेदित भूमि से प्रभावित परिवारों के लिये प्रति 2 एकड़ का एक सदस्य को नौकरी/रोजगार परियोजना के अंतर्गत अवसर दिया जायेगा तथा प्रभावित कुटुंब के लिये नौकरी/रोजगार का प्रावधान रखा जायेगा । (Descending order अनुपालन किया जायेगा)

7. क. जिन विस्थापितों को परियोजना में नियमित रोजगार दिया जाना संभव न हो तो उन्हें मुआवजा के अतिरिक्त प्रति प्रभावित कुटुम्ब पांच लाख रुपये का एक ही बार में संदाय किया जाये या

ख. प्रतिवर्ष 20,000/– रुपये प्रति एकड़ आगामी बीस वर्ष वार्षिकी दी जावे । इसमें प्रति दो वर्ष में 500/– रु. प्रति एकड़ वृद्धि की जावे ।

8. प्रभावित कुटुंबों को रोजगार सुनिश्चित करने की दृष्टि से आजीविका ट्रेड में प्रशिक्षण व्यवस्था कर उन्हें प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुप से रोजगार/जीविका उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा समय समय पर रोजगार के जो भी अवसर उपलब्ध होंगे उनमें यथासंभव भूमि विस्थापितों को रोजगार का अवसर प्राथमिकता से दिया जायेगा ।

9. कलेक्टर रायगढ़ भू अर्जन का पर्यवेक्षण करेंगे एवं प्रत्येक तीन माह में अपना प्रगति प्रतिवेदन राज्य शासन को एवं इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे ।

10. प्रभावित कुटुंबों को रोजगार सुनिश्चित करने की दृष्टि से आजीविका ट्रेड में प्रशिक्षण व्यवस्था मेसर्स महाराष्ट्र स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा गारे पेलमा सेक्टर–2 कोल ब्लॉक द्वारा किया जायेगा । पश्चात् सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्राथमिकता में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुप से स्वरोजगार/जीविका उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा ।

11. प्रभावित क्षेत्र निःशक्तजनों के लिये आजीविका प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार हेतु मेसर्स महाराष्ट्र स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा गारे पेलमा सेक्टर–2 कोल ब्लॉक को विशेष प्रयास करना होगा ।

12. अधिग्रहित भूमि में वृक्ष लगे हों तो उसका आंकलन राजस्व वन विभाग के अधिकारियों द्वारा निर्धारित की गई मूल्य अनुसार मुआवजा राशि का वितरण किया जायेगा ।

उपरोक्त शर्तों के अधीन कलेक्टर रायगढ़ की सहमति के आधार पर मेसर्स महाराष्ट्र स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा गारे पेलमा सेक्टर–2 कोल ब्लॉक हेतु भूमि अधिग्रहण के लिये भू अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिनियम 2013 के अनुक्रम में प्रस्तुत पुनर्वास कार्य योजना अनुमोदित किया जाता है, तदनुसार पालन सुनिश्चित किया जावे ।

<u>संलग्न</u> :– <u>उपरोक्तानुसार (मूल प्रकरण/प्रस्ताव)।</u>

4/2/2020

आयुक्त
बिलासपुर संभाग बिलासपुर
28.01.20

CS Scanned with CamScanner

पुनर्वास एंव पुनर्स्थापन योजना
एवं पात्रता रूपरेखा

गारे पालमा सेक्टर – II कोल ब्लॉक
तहसील तमनार, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़
जनवरी–2019

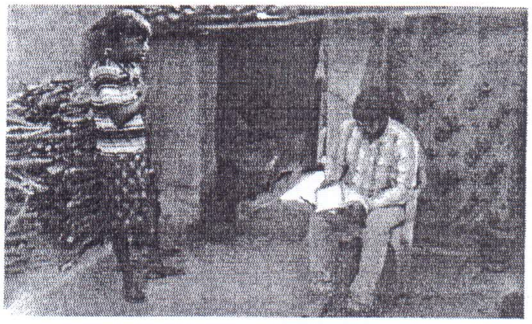

MAHAGENCO
Maharashtra State Power Generation Co. Ltd.

महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड मुंबई
(MSPGCL)

1.2 परियोजना :

गारे पालमा सेक्टर II कोयला ब्लॉक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (महाजेनको) को भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र स्थित अपने संयंत्र में अंतिम उपयोग के लिए आवंटित किया गया है। 25.83 वर्ग किमी (2583.487 हेक्टेयर) क्षेत्र में फैला गारे पेलमा सेक्टर II कोयला ब्लॉक छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले के तमनार तहसील में मंड रायगढ़ कोलफील्ड का अंग है। खनन पट्टे का क्षेत्र **भालुमुड़ा, चितवाही, ढोलनारा, डोलेसरा, गारे, झिंकाबहाल, कुंजेमुरा, लिबरा, मुड़ागांव, पाता, रोडोपाली, सराईटोला, सारसमल और टिहलीरामपुर** के गांवों में स्थित है। खुली खदान (22.0 एमटीपीए) और भूमिगत (1.6 एमटीपीए) परिचालन दोनों के 69 वर्षों के खनन अचल जीवन के साथ, खदानों की शिखर क्षमता 23.6 एमटीपीए होगी।

यह क्षेत्र सर्वे ऑफ इण्डिया टॉपोसैट संख्या 64 एन/8 और 12 (आर. एफ. 1:50,000) में कवर किया गया है और नीचे दी गयी तालिका में दिखाए गये निर्देशांक से घिरा हुआ है।

तालिका 2 : साइट समन्वय

सीमा बिदु	अक्षांश	देशांतर
A	22° 08' 51.495" N	83° 26' 15. 580" E
B	22° 10' 05.178" N	83° 26' 15.433" E
C	22° 10' 49.891" N	83° 27' 26.624" E
D	22° 09' 09.892" N	83° 28' 57.871" E
E	22° 08' 03.774" N	83° 29' 49.271" E
F	22° 06' 24.215" N	83° 31' 12.632" E
G	22° 07' 18.066" N	83° 29' 13.857" E
H	22° 06' 50.059" N	83° 29' 15.318" E

रायगढ़ – सुंदरगढ़ मार्ग गारे पेलमा सेक्टर II साइट से दक्षिण पूर्व दिशा में 9 किमी तथा अम्बिकापुर राजमार्ग (एसएच–1) 6 किमी दूर है। जिला मुख्यालय रायगढ़ है जो साइट से लगभग 35 किमी दूर है और निकटतम शहर तमनार है जिसकी दूरी दक्षिण से करीबन 10 किमी है। निकटतम रेलवे स्टेशन रायगढ़ में भी है जबकि निकटतम हवाई अड्डा रायपुर है जोकि दक्षिण पश्चिम दिशा में 290 किमी की दूरी पर है। उडीसा के साथ अंतर–राज्य सीमा पूर्व से 10 किमी लगभग पूर्व की ओर ब्लॉक से सटी है। परियोजना स्थल का विवरण तालिका 3 में दिया गया है।

तालिका 3 : परियोजना स्थल का विवरण

क्र.सं.	अवधारणा	विवरण
1.	परियोजना	महाजनको की 23.60 एमटीपीए क्षमता वाली 2,583.487 हेक्टेयर से अधिक भूमि में फैली गारे पालमा सेक्टर – 2 कोयला खनन परियोजना, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़
2.	**जगह**	
(i)	राज्य	छत्तीसगढ़
(ii)	जिला	रायगढ़
(iii)	तहसील	तमनार
(iv)	गांव	भालुमुड़ा, चितवाही, ढोलनारा, डोलेसरा, गारे, झिंकाबहाल, कुंजेमुरा, लिबरा, मुड़ागांव, पाता, रोडोपाली, सराईटोला, सारसमल और टिहलीरामपुर
(vi)	अक्षांश :	22° 6' 24.215" N to 22° 10' 49.891" N
(vii)	देशांतर :	83° 26' 15.433" E to 83° 31' 12.632" E
3.	**दूरी**	
(i)	निकटतम नगर	तमनार, 10 किमी, दक्षिण
(ii)	जिला मुख्यालय	रायगढ़, 35 किमी, दक्षिण
(iii)	मुख्य मार्ग	रायगढ़ – अम्बिकापुर राजमार्ग (SH-1) 6 किमी, पश्चिम रायगढ़ – घरघोड़ा मार्ग वाया तमनार
(iv)	रेलवे स्टेशन	रायगढ़, 35 किमी, दक्षिण

पुनःस्थापन : नए स्थान पर न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, संचार, बिजली, आदि के प्रावधान के साथ भूमि के आवंटन और गृह–निर्माण में सहायता के प्रावधान को पुनःस्थापन कहा जाता है।

पुनर्वास : पर्याप्त आय का सृजन करने के लिए या तो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता कार्यक्रमों के प्रावधान को पुनर्वास कहा जाता है।

परियोजना विस्थापित परिवार : कोई भी ऐसा परिवार, जो भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित क्षेत्र से हटाकर पुनर्वास क्षेत्र में बसाया जाना है।

भूमि पर कब्जा करने का अर्थ है: किसी व्यक्ति द्वारा, एक मालिक, हकदार या किरायेदार या अन्यथा के रूप में रखी गई कुल भूमि।

भूमि मालिक में वह व्यक्ति शामिल है जिसका नाम सम्बन्धित प्राधिकरण के अभिलेखों में भूमि या इमारत उसके हिस्से के मालिक के रूप में दर्ज है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकार अधिनियम 2006 की मान्यता) के तहत वन अधिकार दिया गया हो या जो राज्य के किसी भी कानून के तहत जमीन पर पट्टा अधिकार दिये जाने का हकदार रखता हो या ऐसा कोई व्यक्ति जिसे न्यायालय या प्राधिकरण के आदेश से मालिक घोषित किया गया हो।

सीमांत किसान से तात्पर्य एक ऐसे किसान से है जिसके पास एक हेक्टेयर तक गैर–सिंचित भूमि या आधे हेक्टेयर तक सिंचित भूमि हो।

छोटा किसान का अर्थ एक ऐसा किसान है जिसके पास दो हेक्टेयर तक गैर–सिंचित भूमि या एक हेक्टेयर तक सिंचित भूमि हो लेकिन जो सीमांत किसान से बड़ा हो।

बाजार मूल्य का अर्थ है कि जहां भूमि स्थित है वहां विक्री अभिलेख के पंजीकरण के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में निर्धारित बाजार मूल्य के अनुसार कलेक्टर द्वारा निर्धारित भूमि का मूल्य या पड़ोसी गांवों में भूमि का औसत मूल्य या निजी कम्पनियों या सार्वजनिक–निजी साझेदारी हेतु सहमति की सहमत राशि।

तालिका 4 : परियोजना प्रभावित गाँवों की सूची

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	गांव	छोटा गांव	टिप्पणी
3	बजरमुड़ा	ढोलनारा	सिदार पारा पूर्व	घर/गांव विस्थापित नहीं
			सिदार पारा पश्चिम	
			सिदार पारा दक्षिण	
			चौक पारा	
			आवास पारा	प्रस्तावित परियोजना द्वारा पूरा गांव विस्थापित
			दक्षिण पारा	
			पूर्व पारा	
			बरढीपा	
4	डोलेसेरा	डोलेसेरा	पैंकरा पारा पश्चिम	प्रस्तावित परियोजना द्वारा आंशिकतौर पर भूमि प्रभावित/कोई घर/छोटा गांव विस्थापित नहीं
			पैंकरा पारा पूर्व	
			चौहान पारा पूर्व	
			सतनामी पारा	
			पटेल पारा पूर्व	
			पटेल पारा पश्चिम	
			कुम्हार पारा	
			उराव पारा	
			चौहान पारा पश्चिम	
			कोलता पारा	
			पैंकरा पारा मध्य	
5	गारे	गारे	कलार पारा	प्रस्तावित परियोजना द्वारा पूरा गांव विस्थापित
			सिदार पारा	
			कंवर पारा	
			सडक पारा	
			अघरिया पारा पूर्व	
			अघरिया पारा पूर्व	
			डारी पारा पूर्व	
			डारी पारा पश्चिम	
6	झिंकाबहाल	झिंकाबहाल	अघरिया पारा	प्रस्तावित परियोजना द्वारा आंशिक भूमि प्रभावित/कोई घर/गांव विस्थापित नहीं
			मांझा पारा	
			स्कूल पारा	
			सेाढी पारा	
			आवास पारा	
			ढीपा पारा	
7	कुंजेमुरा	कुंजेमुरा	आवास पारा	प्रस्तावित परियोजना द्वारा पूरा गांव विस्थापित
			उरांव पारा पश्चिम	
			उरांव पारा दक्षिण	
			घसिया पारा	
			निषाद पारा	
			सिदार पारा उत्तर	
			सिदार पारा दक्षिण	
			निषाद पारा पश्चिम	

तालिका 4 : परियोजना प्रभावित गाँवों की सूची

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	गांव	छोटा गांव	टिप्पणी
			कंवर पारा पश्चिम	
			मढी पारा	
13	सारसमल	सारसमल	मांझा पारा पश्चिम	प्रस्तावित परियोजना द्वारा आंशिक भूमि प्रभावित / कोई घर / गांव विस्थापित नहीं
			मांझा पारा पूर्व	
			खाले पारा	
			मांझा पारा	
			कंवर पारा पूर्व	
			उपर पारा	
14	टिहलीरामपुर	टिहलीरामपुर	टिहलीरामपुर उत्तर	प्रस्तावित परियोजना द्वारा पूरा गांव विस्थापित
			टिहलीरामपुर पूर्व	
			टिहलीरामपुर माधी	
			ऊर्जा नगर	
			उरांव पारा	

स्रोत : ग्रीनसीइण्डिया कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पीआरए तकनीक का इस्तेमाल कर प्राथमिक सर्वेक्षण एवं परामर्श, 2017

2.3 भूमि वितरण

रायगढ़ जिले के 14 गांवों में प्रस्तावित परियोजना के लिए करीबन 2583.487 हेक्टेयर भूमि की जरूरत है। विभिन्न क्षेणियों के तहत अधिग्रहित भूमि का आकलन किया गया और राजस्व भूमि में वर्गीकृत किया गया जिसमें निजी भूमि (आदिवासी और गैर–आदिवासी) और सरकारी एवं राजस्व वन भूमि शामिल हैं। वन भूमि (संरक्षित वन) की भी पहचान की गई है। अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का मुआवजा एलएआरआर अधिनियम 2013 के अनुसार प्रदान किया जायेगा।

तालिका 5: गांव वार भूमि वर्गीकरण(हेक्टेयर में)

क्र.	गांव	निजी (हेक्टेयर)		राजस्व भूमि हेक्ट			कुल सरकारी भूमि	वन भूमि (RF/PF/OF)	कुल भूमि
		गैर आदिवासी भूमि	आदिवासी भूमि	राजस्व वन	बस्ती / आबादी	अन्य सरकारी भूमि			
1	भालुमुड़ा	4.496	15.873	1.214	0.000	2.075	3.289	0.000	23.658
2	चितवाही	54.839	88.735	0.000	7.944	8.739	16.683	0.000	160.257
3	डोलेसेरा	10.634	3.389	0.000	0.000	7.138	7.138	0.000	21.161
4	ढोलनारा	27.140	25.398	8.139	5.908	10.219	24.266	2.183	78.987
5	गारे	47.738	116.539	2.159	10.474	11.087	23.72	0.000	187.997
6	झिंकाबहाल	0.322	1.113	0.000	0.000	0.026	0.026	7.612	9.073
7	लिबरा	65.801	63.445	13.216	3.006	1.657	17.879	0.000	147.125
8	रोडोपाली	150.308	192.565	0.125	17.632	32.017	49.774	0.000	392.647
9	टिहलीरामपुर	106.733	41.917	0.000	1.170	75.027	76.197	0.000	224.847
10	सरसमल	33.141	42.808	15.887	0.000	3.706	19.593	0.000	95.542
11	मुड़ागांव	121.220	181.648	8.216	8.256	7.277	23.749	48.515	375.132
12	सराईटोला	40.433	118.295	18.729	8.597	8.839	36.165	11.533	206.426
13	पाता	220.507	105.046	17.259	12.909	16.328	46.496	29.892	401.941
14	कुंजेमुरा	104.193	93.342	30.190	14.432	16.537	61.159	0.000	258.694
	कुल	**987.505**	**1090.113**	**115.134**	**90.328**	**200.672**	**406.134**	**99.735**	**2583.487**

स्रोत : राजस्व विभाग, तमनार तहसील, रायगढ़ जिला, छत्तीसगढ़ के अभिलेख के अनुसार

2.5. विस्थापित आबादी का सामाजिक वितरण

कुल परियोजना द्वारा विस्थापित और प्रभावित घरों की संख्या क्रमशः 2245 और 674 हैं जिनकी कुल आबादी क्रमशः 7063 और 2574 हैं। इसमें से, यह पाया गया कि 55.81 प्रतिशत विस्थापित परिवार और 47.92 प्रतिशत प्रभावित परिवार अनुसूचित जनजाति के हैं। इस क्षेत्र में अनुसूचित जातियों का अनुपात कम पाया गया। जातिगत आधार पर वर्गीकरण का विस्तृत विवरण नीचे तालिका 7, 8 और 9 में वर्णित किया गया है और उसके साथ दिए गए आंकड़ों में दर्शाया गया है।

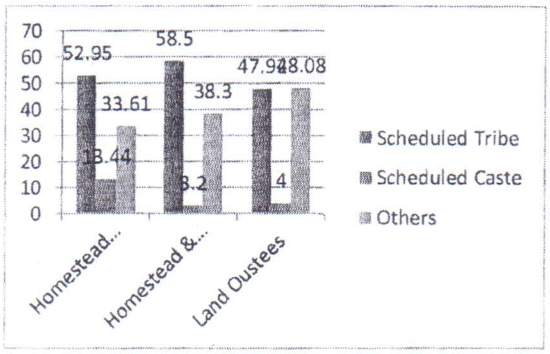

प्रभावित / विस्थापित आबादी का सामाजिक समूह

तालिका 7: परियोजना विस्थापित घरों का जातिवार वितरण

क्रम संख्या	गांव का नाम	घर विस्थापित				घर और भूमि विस्थापित				कुल
		अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य	कुल	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य	कुल	
1	सराईटोला	47	5	4	56	94	7	23	124	180
2	मुड़ागांव	38	1	13	52	72	3	34	109	161
3	ढोलनारा	43	8	15	66	57	0	23	80	146
4	रोडोपाली	41	5	20	66	101	1	25	127	193
5	लिबरा	26	0	14	40	31	0	3	34	74
6	टिहलीरामपुर	22	0	16	38	48	0	52	100	138
7	गारे	140	17	60	217	76	6	29	111	328
8	कुंजेमुरा	98	47	104	249	95	16	92	203	452
9	पाता	120	63	119	302	104	4	163	271	573
	कुल	**575**	**146**	**365**	**1086**	**678**	**37**	**444**	**1159**	**2245**

स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण, ग्रीनसी इण्डिया कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, 2017

तालिका 8: परियोजना प्रभावित घरों का जातिवार वितरण

क्रम संख्या	गांव का नाम	प्रभावित घर			
		अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य	कुल
1	सराईटोला	1	1	9	11
2	मुड़ागांव	22	2	2	26
3	ढोलनारा	3	2	10	15
4	रोडोपाली	12	2	24	38
5	लिबरा	47	0	40	87
6	टिहलीरामपुर	5	0	4	9

तालिका 10: परियोजना द्वारा प्रभावित जल संसाधनों की संख्या

क्र. सं.	गांव का नाम	कुआं	हैंडपम्प	तालाब	ट्यूब वेल	पंचायत वाटक टैंक
1	झिंकाबहाल	5	6	7	0	6
2	लिबरा	8	4	10	0	12
3	डोलेसेरा	0	4	7	0	5
4	टिहली रामपुर	0	4	1	0	8
5	भालूमुडा	1	0	3	0	3
6	रोडोपाली	1	2	5	7	8
7	चितवाही	25	6	4	0	7
8	ढोलनारा	12	0	1	20	8
9	मुडागांव	2	5	5	10	5
10	सराईटोला	25	3	3	10	4
11	पाता	1	30	2	0	8
12	कुंजेमुरा	1	35	4	0	5
13	गारे	2	4	6	0	4
14	सारसमाल	1	5	2	0	5
		84	**108**	**60**	**47**	**88**

स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण, ग्रीनसी इण्डिया कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, 2017

1.5.1 सार्वजनिक संपत्ति संसाधन

निजी संपत्तियों/संरचनाओं और भूमि के अतिरिक्त, कुछ ऐसी सरकारी संपत्ति/संरचनाएं भी हैं जो कि परियोजना के कारण प्रभावित हो रही हैं। ऐसे संसाधन जैसे – चराई का मैदान, पूजास्थल, दफनाने का मैदान, श्मशान, आदि सभी सार्वजनिक संपत्ति संसाधनों में शामिल होते हैं। इनके अतिरिक्त स्कूल की इमारतें, अस्पताल, कार्यालय भवन आदि सरकारी संरचनाओं में शामिल होते हैं। तालिका 11 परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाली संपत्तियों का विवरण देती हैं।

तालिका 11 परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाली संपत्तियों का विवरण

क्रम संख्या	गांव	हरितभूमि	मुक्तिधाम/कब्रिस्तान	धार्मिक स्थल
1	लिबरा	1	0	5
2	कुंजेमुरा	1	0	3
3	पाता	1	0	2
4	टिहली रामपुर	0	1	3
5	रोडोपाली	0	0	5
6	ढोलनारा	0	0	3
7	मुडागांव	0	0	2
8	सराईटोला	0	0	3
9	गारे	0	0	3
	कुल	**3**	**1**	**29**

स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण, ग्रीनसी इण्डिया कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, 2017

यह अनुमानित है कि लगभग 16 स्कूल, 18 आंगनवाड़ी केंद्र, 15 सामुदायिक हॉल/बारात घर इस परियोजना के कारण प्रभावित हो रहे हैं और उनका स्थानांतरण आवश्यक है। एक निजी स्कूल के साथ, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड की कॉलोनी भी है जिसे विस्थापित करने की आवश्यकता है। सभी प्रभावित सरकारी संरचनाओं का विवरण नीचे तालिका 12 में दिया गया है।

तालिका 14 : विस्थापित घरों का प्रकार

क्रम संख्या	गांव का नाम	घर का प्रकार (परियोजना विस्थापित घर)			
		पक्का	कच्चा	पक्का और कच्चा	कुल
1	मुड़ागांव	10	135	16	161
2	ढोलनारा	12	119	15	146
3	रोडोपाली	11	174	8	193
4	पाता	54	396	123	573
5	टिहलीरामपुर	12	110	16	138
6	सराईटोला	8	162	10	180
7	लिबरा	2	64	8	74
8	गारे	3	308	17	328
9	कुंजेमुरा	9	421	22	452
कुल		**121**	**1889**	**235**	**2245**

स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण, ग्रीनसीइण्डिया कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, 2017

1.8 व्यावसायिक संरचना

कुल परियोजना विस्थापित और प्रभावित परिवारों की रोजी रोटी खोने की संभावना बनी हुई है क्योंकि वे सभी मुख्य रूप से कृषि कार्य कर अपनी आजीविका चलाते हैं। इसकी तुलना में जो लोग भी अपनी रोजी रोटी खो रहे हैं उनमें से अधिकांश किसान है। इन क्षेत्रों की प्रमुख फसल 'चावल' थी।

किसान यहां चना, कोदो–कुटकी और गेहूं भी उगाते हैं। इन क्षेत्रों में किसानों द्वारा कम अनुपात में "मक्का, उड़द, नाइजर, सोयाबीन, अरहर, सरसों, कुल्थी, अलसी, मूंगफली, तिल, मसूर, मटर, मूंग, ज्वार और सूरजमुखी" उगाए जाते हैं। आसपास के क्षेत्रों में लोगों का एक बड़ा वर्ग मिला है जो कि गैर–कृषि श्रमिकों के रूप में काम करते हैं। यह तालिका 15 विस्थापित परियोजना की व्यवसायिक संरचना और उसे प्रभावित लोगों को दर्शाती है।

तालिका 15: परियोजना विस्थापित एवं प्रभावित आबादी का व्यावसायिक ढांचा

क्रम संख्या	गांव का नाम	कृषि	खेतीहर मजदूर	गैर–खेतीहर मजदूर	पारम्परिक व्यवसाय / हस्तशिल्प	सरकारी नौकरी	प्रवासी	निजी नौकरी	लागू नहीं	कुल
परियोजना विस्थापित घर										
1	मुड़ागांव	95	0	61	0	1	0	4	0	161
2	ढोलनारा	83	0	51	0	3	0	7	2	146
3	रोडोपाली	104	0	72	1	6	0	8	2	193
4	पाता	298	0	264	0	0	0	11	0	573
5	टिहलीरामपुर	46	20	63	1	1	0	0	7	138
6	सराईटोला	80	1	97	0	2	0	0	0	180
7	लिबरा	27	29	13	1	1	0	3	0	74
8	गारे	234	0	88	0	0	0	6	0	328
9	कुंजेमुरा	179	0	264	0	0	0	9	0	452
कुल		**1146**	**50**	**973**	**3**	**14**	**0**	**48**	**11**	**2245**

3. व्यापक पुनर्वास एंव पुनर्स्थापन एवं पात्रता रूपरेखा

प्रस्तावित परियोजना के लिए, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन अधिनियम, 2013 (एलएआरआर अधिनियम 2013) में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के सर्वश्रेष्ठ प्रावधानों और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति 2007 सहित व्यापक पात्रता रूपरेखा गठित की गई है। परियोजना की R&R नीति के प्रावधानों को नीचे दिया जा रहा है।

क प्रथम सिड्यूल : भूमि स्वामियों का मुआवजा

भूमि विस्थापितों, जिनकी भूमि अधिग्रहण या पट्टे पर ली जा रही है, को निम्नलिखित स्वरूप के अनुसार न्यूनतम मुआवजा दिया जायेगा।

तालिका 16: भूमि स्वामियों के लिए मुआवजा

क्र. संख्या	मुआवजा पैकेज का घटक	मूल्य निर्धारण करने का तरीका
1	भूमि का बाजार मूल्य	कलेक्टर द्वारा बाजार मूल्य निर्धारित किया जाएगा यह मूल्य पिछले तीन वर्षों के दौरान गांव या आसपास के गांवों में स्थित समान प्रकार की जमीन की औसत बिक्री मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। मूल्य निर्धारण की तारीख एलएआरआर 2013 की धारा 11 के तहत अधिसूचना तिथि होगी।
2	बाजार मूल्य पर गुणक कारक	शहरी क्षेत्र से दूरी के आधार पर और उचित प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 2 के कारक से अधिकतम होगी। (छत्तीसगढ़ सरकार की अधिसूचना 27.02.2019 के माध्यम से दिए गये दिशानिर्देशों के अनुसार सभी क्षेत्रों के लिए गुणक कारक 2 होगा)
3	भूमि या इमारत से जुड़ी संपत्ति	• कलेक्टर के अनुरोध पर भूमि से जुड़ी इमारत की कीमत का निर्धारण किसी योग्य अभियंता/पीडब्ल्यूडी द्वारा किया किया जाता है • कलेक्टर के अनुरोध पर कृषि, रेशम–उत्पादन, वन या वन विभाग के क्षेत्र में अनुभवी व्यक्तियों द्वारा वृक्षों के मूल्य का निर्धारण किया जाता है • कलेक्टर के अनुरोध पर कृषि क्षेत्र में अनुभवी व्यक्तियों द्वारा स्थायी फसलों का मूल्य निर्धारित किया जाता है
4	क्षतिपूर्ति	कलेक्टर द्वारा निर्धारित 100 प्रतिशत भूमि के बाजार मूल्य (1) और परिसंपत्तियों के मूल्य (2) में कारक के बराबर।
5	ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम पुरस्कार	भूमि का बाजार मूल्य (1)+ परिसंपत्ति का मूल्य (3)+ 100 प्रतिशत की क्षतिपूर्ति (4)

परियोजना के लिए भूमि की अनुमानित लागत

तालिका 17 : भूमि की लागत

किरायेदारी भूमि	मात्रा	इकाई दर	लाख में रूपये
निजी भूमि का बाजार मूल्य	2077.62 हेक्ट	रू 25 लाख/हेक्ट	-
ग्रामीण भूमि के लिए घटक	2 बार का बाजार मूल्य	रू 50 लाख/हेक्ट	103881.00
भूमि पर इमारतों का मुआवजा	भूमि मूल्य का 10%		10388.10
कुल भूमि मुआवजा (क)			**114269.10**
फलदार वृक्षों के लिए मुआवजा	5389	6000	323.340
लकड़ी वाले वृक्षों के लिए मुआवजा	177	4000	7.080
कुंओं के लिए मुआवजा	84	70000	58.80

ग. तीसरा सिड्यूल : सामुदायिक सुविधाएं और आर एंड आर कॉलोनी की लागत का प्रावधान

अधिग्रहण प्राधिकरण की लागत पर आबादी के पुनर्वास के लिए, निम्नलिखित बुनियादी ढांचागत सुविधाएं और न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नए गांव या कॉलोनी में पुनर्वासित आबादी स्वयं के लिए समुदाय के उचित मानकों के अनुसार जीवन–स्तर को प्राप्त कर सके और विस्थापन के कारण उत्पन्न होने वाले कटु अनुभव को न्यूनतम करने का प्रयास कर सके।

उचित रूप से रहने योग्य और नियोजित नयी बस्ती में, न्यूनतम निम्नलिखित निम्न सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध होगी, जैसा कि उस स्थान के लिए उपयुक्त होगा:

- पुनर्वासित गांवों के अंदर की सड़कों और सभी मौसम में कार्यरत रहने वाली सड़क का निकटतम पक्के सड़क के साथ जुड़ाव, सभी पुनर्वासित परिवारों के लिए गलियारा और सुविधाधिकार पर्याप्त रूप से व्यवस्थित किया जाना चाहिए।
- भौतिक पुनर्वास से पहले उचित जल निकासी और साथ ही स्वच्छता योजनाओं को निष्पादित किया जाना चाहिए।
- भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रत्येक परिवार के लिए सुरक्षित पीने के पानी के एक या अधिक सुनिश्चित स्रोत की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- पशुओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- राज्य में स्वीकार्य अनुपात में पशुओं के चरने हेतु भूमि की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- उचित मूल्य की दुकानों की उचित संख्या में व्यवस्था की जानी चाहिए।
- पंचायत घर, जैसा कि उपयुक्त हो
- गांव स्तर के डाक खाने, जैसा कि उपयुक्त हो, बचत खाता खोलने की सुविधाओं सहित।
- उपयुक्त बीज–सह–खाद भण्डारण सुविधा, यदि जरूरत हो।
- पुनर्वासित परिवारों को आबंटित कृषि भूमि के लिए बुनियादी सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए, यदि सिंचाई परियोजना से नहीं, तो सहकारी विकास या किसी सरकारी योजना या विशेष सहयोग के तहत।
- विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए स्थापित सभी नये गांवों को उपयुक्त परिवहन सुविधा प्रदान की जायेगी जिसमें आसपास के विकास केंद्रों / शहरी स्थानों के साथ स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं शामिल होंगी।
- जाति–समुदायो और उनकी प्रथाओं पर निर्भर कर, साइट पर कब्रिस्तान या श्मशान स्थल।
- व्यक्तिगत शौचालय स्थलों सहित स्वच्छता सुविधाएं।
- प्रत्येक परिवार और सार्वजनिक प्रकाश के लिए, व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या ऊर्जा के गैर–पारम्परिक स्रोत जैसे सौर ऊर्जा के माध्यम से कनेक्शन),
- बच्चे तथा मां को पूरक पोषण सेवाएं प्रदान करती आंगनबाड़ी।
- निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (2009 का 35) के बच्चों के अधिकार के प्रावधानों के अनुसार विद्यालय
- दो किमी की सीमा में उप–स्वास्थ्य केन्द्र
- भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- बच्चों के लिए खेल का मैदान
- प्रत्येक सौ परिवारों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- प्रभावित क्षेत्र की संख्या और आयाम के अनसुार सामुदायिक सभा के प्रत्येक पचास परिवारों के लिए पूजा स्थल एवं चौपाल / वृक्ष मंच।
- पारम्परिक आदिवासी संस्थानों के लिए पृथक भूमि निर्धारित की जानी चाहिए।
- जंगलों में रहने वाले परिवारों को जहां संभव हो गैर–लकड़ी वन उत्पादन तथा आम सम्पत्ति संसाधन प्रदान किये जाने चाहिए, यदि संभव हो तो उनके नये प्रवास स्थल के करीब प्रदान किये जायें, और यदि ऐसा कोई परिवार वन या आम सम्पत्ति के खाली स्थान के करीब क्षेत्र में अपनी पहुंच या प्रवेश जारी रखता है, तो उसे आजीविका के ऊपर वर्णित स्रोतों का अधिकार मिलना चाहिए। प्रवास के लिए उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, यदि जरूरत हो।
- यदि आवश्यक हो, तो नीपटान के लिए उचित सूरक्षा व्यवस्था प्रदान की जानी चाहिए
- मानदंडों के अनुसार पशुचिकित्सा केन्द्र

4 प्रस्तावित सी.एस.आर. गतिविधियां

MAHAGENCO की विशेषकर अंशधारकों एवं समाज के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी के भाग के तौर पर, प्रस्तावित परियोजना के आस–पास 10 किमी क्षेत्र के भीतर गांवों में विकास गतिविधियां की जानी है। विकास गतिविधियां विभिन्न अंश–धारकों द्वारा अभिव्यक्त क्षेत्र की जरूरत के अनुसार तैयार की जायेंगी। व्यापक विकास क्षेत्र जिन्हें कवर किया जायेगा में शामिल हैं स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षणिक सुधार, आजीविका विकास, कौशल विकाश, सांस्कृतिक वृद्धि और आधारभूतढांचा विकास। ग्रामवासियों की जरूरत को समझने के लिए, सभी प्रभावित गांवों में एक प्रारंभिक बातचीत शुरू की गई। उसके आधार पर, MAHAGENCO द्वारा किये जाने वाली CSR गतिविधियों के निर्धारण के लिए एक बुनियादी गतिविधि चार्ट प्रस्तावित किया गया है।

तालिका 11 : सीएसआर गतिविधियां

क्र. सं	व्यापक उद्देश्य	प्रस्तावित गतिविधियां
1	स्वास्थ्य	स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन
		मोबाइल स्वास्थ्य इकाई (2)
		स्वास्थ्य जागरूकता शिविर
		विशेष स्वास्थ्य जागरूकता शिविर
		इलाज के लिए गरीब मरीजों को सहयोग
		गर्मियों में पड़ोसी गांवों में साफ पानी की आपूर्ति
		बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण शिविर
		आंगनवाड़ी केन्द्रों का विकास एवं उनका स्टाफ
2	कौशल एवं उद्यमशीलता विकास	युवाओं को प्रशिक्षित देने के लिए घरघोरा में स्थानीय आईटीआई का उन्नयन तथा नये व्यवसायों की प्रस्तुति
		SHGs के माध्यम से स्थानीय महिलाओं और पारम्परिक शिल्पकारों को प्रशिक्षण
3	आजीविका विकास तथा किसानों के उत्पादन में वृद्धि	हाल की फसल पर किसानों को प्रशिक्षण, खेती, कटाई और विपणन पर विशेष प्रशिक्षण
		जैविक खेती, प्राकृतिक, कीटनाशक, कीटाणुनाशक की तैयारी और इस्तेमाल पर प्रशिक्षण
		सामूहिक खेती, विपणन तथा प्रबंधन के लिए किसान क्लबों तथा उनके संघों का गठन
		पानी तथा मिट्टी के संरक्षण पर किसानों को प्रशिक्षण
		सभी 20 गांवों में महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन करना तथा विद्यमान समूहों को मजबूत बनाना।
4	आधारभूत ढांचे में सुधार	पक्का मार्ग का निर्माण
		नालियों का निर्माण, गढ्ढे भरना आदि।
		गांवों में सौर रोशनी की प्रोत्साहन तथा स्थापना करना
		ग्राम पुस्तकालय की स्थापना
		लघु जल संचय ढांचों जैसे एनिकट कक्षा का विकास
		तालाबों की खुदाई
		बाजार मंचों का निर्माण
		विद्यालयों /सामुदायिक कक्षों में शौचालय का निर्माण
5	शैक्षणिक स्थिति में सुधार	स्थानीय विद्यालयों का उन्नयन और पुस्तकें तथा स्टेशनरी प्रदान करना
		विद्यालयों में कम्प्युटर्स का प्रावधान
		जरूरतमंद बच्चों को छात्रवृत्ति
6	खेल प्रचार	विभिन्न खेल गतिविधियों का प्रचार एवं प्रायोजन